न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)
E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in
PH:-01420-228487

प्रकरण संख्या :-39 / 2025
प्रकरण दायर दिनांकः- 09.05.2025
प्रकरण निर्णय दिनांकः-23.09.2025

उनवान

1. श्रीमती गीता देवी पत्नि राकेश जाति बैरवा निवासी सुनगाडी तहसील बांदीकुई जिला दौसा

:-प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार (लैण्ड होल्डर) जरिये तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा

:- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 लैण्ड रेवन्यु एक्ट
बाबत किये जाने स्थाई सीमा चिन्ह (पैमाईश) व पत्थरगढी

निर्णय दिनांक 23.09.2025

प्रार्थीया द्वारा विरूद्ध अप्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128, 111 लैण्ड रेवन्यु एक्ट जर्ये वकील श्री विश्राम दयाल कुम्हार के इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीया ग्राम सुनगाडी तहसील बांदीकुई जिला दौसा की स्थाई निवासी है तथा अनुसूचित जाति की काश्तकार पेशा महिला है व कानून में आस्था रखने वाली है। प्रार्थीया की तन्हा कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि वाके ग्राम पामाडी पटवार हल्का उनबडागॉव तहसील बांदीकुई जिला दौसा में खाता संख्या नया 112 पुराना 112 के आराजी खसरा नंबर 1321 / 461, 462, 466, 467 कुल किता 04 कुल रकबा 0.58 हैक्टेयर स्थित चली आ रही है। नकल जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। इस भूमि पर प्रार्थीया काबिज काश्त चली आ रही है। जो भूमि मुतदाविया है। प्रार्थीया की उक्त भूमि मुतदाविया कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है जिस पर प्रार्थीया काश्त कर मुफीद होती चली आ रही है उक्त भूमि के लगते हुये भूमि पडोसी खातेदारान की भूमि है जो आये दिन प्रार्थीया को हैरान परेशान करते रहते है तथा प्रार्थीया की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा रहते है तथा प्रार्थीया के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करते है जिससे आये दिन लडाई झगडा होकर मिनख मराई की सूरत बनी रहती है जिस कारण प्रार्थीया द्वारा पूर्व में तहसीलदार बांदीकुई को सीमाज्ञान करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तहसीलदार बांदीकुई द्वारा दिनांक 28.03.2025 को पत्र कमांक / भू.अ. / 2025 / 1048 दिनांक 24.03.2025 द्वारा आदेश फरमाये गये जिसकी पालना में पटवारी हल्का व गिरदावर को उक्त भूमि मुतदाविया की पैमाईश व पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान किये गये जिस पर पटवारी हल्का व गिरदावर ने मौके पर जाकर सीमाज्ञान किया व सीमा चिन्ह अंकित किये गये तथा मौके पर

Scanned with OKEN Scanner

पत्थरगढी नहीं की गयी जिसकी पालना अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा आज दिनांक तक नहीं की गयी है मौके पर प्रार्थीया के पडोसी खातेदार प्रार्थीया को नाजायज रूप से तंग व परेशान करते है तथा प्रार्थीया को उसकी कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि को बोने नहीं देते है तथा प्रार्थीया की भूमि में से पेडों को काटकर ले जाते है। मौके पर भूमि मुतदाविया की सुरक्षा हेतु पाल डौल नहीं करने देते तथा मौके पर पुराने चिन्हों को नष्ट कर दिया जिस हेतु श्रीमान के द्वारा पुनः पैमाईश कर पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीया शांति प्रिय कानून में विश्वास करने वाली महिला है तथा पडोसी खातेदारान झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो कानून में कोई विश्वास नहीं रखते है। प्रार्थीया अपनी भूमि की पैमाईश व पत्थरगढी करवाकर अपने हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि पर आवारा पशुओ से सुरक्षा हेतु पाल डौल व तारबंदी करवाना चाहती है। जिससे पडौसी खातेदारान से किसी प्रकार का विवाद नहीं हो तथा किसी दूसरे की भूमि प्रार्थीया की भूमि में नहीं लग जावे व प्रार्थीया की भूमि किसी दूसरे व्यक्ति के नहीं लग जावे। इस हेतु प्रार्थीया अपनी भूमि मुतदाविया की पैमाईश व पत्थरगढी करवाना चाहती है। प्रार्थीया द्वारा दिनांक 05.05.2025 को अप्रार्थी से भूमि मुतदाविया की पैमाईश व पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी ने कहा कि हमने तो मौके पर सीमाज्ञान कर दिया है तथा मौके पर मिनख मराई की पूरी सूरत है इसलिये न्यायालय से आदेश लेकर आओ उसके बाद हम पैमाईश व पत्थरगढी करेंगे। इस कारण श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजिमी आया है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 112 पुराना 112 के खसरा नंबर 1321/461, 462, 466, 467 कुल किता 04 कुल रकबा 0.58 हैक्टेयर वाके ग्राम पामाडी तहसील बांदीकुई जिला दौसा की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 28.03.2025 के मुताबिक पत्थरगढी किये जाने के आदेश मय पुलिस ईमदाद फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जर्ये नोटिस विधिवत की गयी। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01 पैरोकार सरकार/तहसीलदार बांदीकुई उप0 आये एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर कर अंकन किया कि प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र में अंकित खसरा नंबरान पर किन्ही अन्य व्यक्तियों का कब्जा होना संभावित है अगर प्रार्थीया के खसरा नंबरान की पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गयी। प्रार्थीया वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने उभयपक्ष बहस पर मनन किया। प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबंदी संवत 2075–78 ग्राम पामाडी खाता सं. नया 112 पुराना 112 व मौका पर्चा सीमाज्ञान ग्राम पामाडी दिनांकः 28.03.2025 का अवलोकन किया गया। राजस्व जमाबंदी संवत 2075–78 ग्राम पामाडी खाता सं. नया 112 पुराना 112 में प्रार्थीया रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। मौका पर्चा सीमाज्ञान ग्राम पामाडी दिनांकः 28.03.2025 के अनुसार वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान हो चुका है। सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी विधिवत करने में बाधा का कोई कारण नहीं है। भूमि सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी निर्धारित कराने का प्रार्थीगण को एल.आरएक्ट. प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारात प्राप्त है। अतः उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबन्दी, सीमाज्ञान पर्चा मौका वाके ग्राम पामाडी दिनांकः 28.03.2025 के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीया प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128, 111 लैण्ड रेवन्यु एक्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीया प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 111 लैण्ड रेवन्यु एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीया की दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 112 पुराना 112 के खसरा नंबर 1321/461, 462, 466, 467 कुल किता 04 कुल रकबा 0.58 हैक्टेयर वाके ग्राम पामाडी तहसील बांदीकुई जिला दौसा की मुताबिक मौका पर्चा सीमाज्ञान ग्राम पामाडी दिनांकः 28.03.2025 के विधिवत पत्थरगढी मय राजस्व टीम भू. अ. निरीक्षक, पटवारी की गठित कर करावें। पत्थरगढी के दौरान

Scanned with OKEN Scanner

मौके पर कानून व्यवस्था/शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस जाप्ता थानाधिकारी बॉदीकुई से प्राप्त करें। थानाधिकारी बॉदीकुई वांछित पुलिस जाप्ता तहसीलदार बांदीकुई को उपलब्ध करावें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

23/9/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
05/08/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० वास्ते रिपोर्ट तहसीलदार बांदीकुई पत्रावली दिनांक 19/08/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
	19/08/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 16/09/25 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
	16/09/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 23/09/25 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र में अंकित खसरा नम्बरान पर किन्ही अन्य व्यक्तियों का कब्जा होना संभावित है। अगर प्रार्थिया के खसरा नम्बरान की पत्थरगढी के आदेश दिए जाते हैं, तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। 23/9/25 TPR	23/09/25 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थिया एवं कैरोकार सरकार/तहसीलदार बांदीकुई उप० बहस उभयपक्ष सुनी बहस उभयपक्ष पर मनन किया। प्रार्थी प्रा.पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात एवं आदेशिका पर तहसीलदार की उभयपक्ष की अंकित टिप्पणी का अवलोकन किया। उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं प्रा.पत्र व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर प्रार्थिया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थिया प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128, 111 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
नाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 23/9/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	